[2022] 15 एस. सी. आर 773

ए.

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनाम

असम का राज्य

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 1105) अक्टूबर 17,2022

बी.

[अजय रस्तोगी और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।302 आर/डब्ल्यू 149,148,123 और 447-निचली न्यायालय ने एस. एस. सहित आई. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू 149,148,123 और 447-अभियोजन पक्ष ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष दस गवाहों से पूछताछ की थी-उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसले और सजा को बरकरार रखा-दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर चुनौती दी गई कि अन्य बातों के साथ-साथ, गवाह पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 एक-दूसरे से संबंधित थे-अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाह की जांच करने में विफल रहा और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में भौतिक विरोधाभास थे-आयोजितःअपील में न्यायालय सबूत का पुनर्मूल्यांकन तब कर सकती है जब सबूत का अनुचित स्वागत या अस्वीकृति हुई हो, जो अपास्त करना या प्राप्त होने पर अभिसाक्ष्य को असमर्थनीय बना देगा-न्यायालय ऐसे मामले में भी हस्तक्षेप कर सकती है जहां महत्वपूर्ण सबूतों का गलत अध्ययन किया गया है या न्यायालय आरोपी के पक्ष में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने में चूक करती है-तत्काल मामले में, पीडब्लू-6 के साक्ष्य में भिन्नता थी जो पहला सूचना देने वाला था और पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य के बारे में कि मृतक को घातक प्रहार किसने दिया-निचली न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इन गवाहों के साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा नहीं किया जो संबंधित आरोपी को दोषी ठहराने में एक-दूसरे के साथ अत्यधिक असंगत थे-पीडब्लू-3, पीडब्लू-4 और पीडब्लूसाक्ष्य-संबंधित/इच्छुक/पक्षपाती गवाहों की विश्वसनीयता-सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित/इच्छुक/पक्षपाती गवाह हैं, उनकी गवाही की अवहेलना नहीं की जा सकती है-हालाँकि, जब गवाह संबंधित/इच्छुक होते हैं, तो उनकी गवाही की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए-तत्काल

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

773 ए.

774 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट था कि सभी गवाह मृतक से संबंधित थे और एक-दूसरे के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए एक भी स्वतंत्र गवाह नहीं था-इसके अलावा, उनकी गवाही में विरोधाभास और विसंगति थी-ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

बी.

प्रमाणः असंगत गवाही-अभियोजन मामले पर प्रभाव-अदालतों को यह लेबल लगाना होता है कि किस श्रेणी में विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है-सामग्री विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम करती हैं जबकि महत्वहीन विसंगतियां ऐसा नहीं करती हैं-वर्तमान मामले में गवाहों की गवाही में सामग्री विसंगतियां हैं और वही अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है-अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय है और अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों को साबित नहीं करता है।

सी.

साक्ष्य का कानूनः साक्ष्य में भौतिक विसंगति-उसकी प्रशंसा।

डी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पीडब्लू**-6** के साक्ष्य में भिन्नता है जो तत्काल मामले में पहला सूचना देने वाला था और पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-4** के साक्ष्य में भिन्नता है कि मृतक को घातक प्रहार किसने दिया।**(**ट्रायल न्यायालय**)** फास्ट ट्रैक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पीडब्लू**-6** के साक्ष्य को पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** के साक्ष्य के साथ पुष्टि मिलती है**,** गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।फास्ट ट्रैक अदालत के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय को इन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो संबंधित अभियुक्त को दोषी ठहराने में एक**-**दूसरे के साथ अत्यधिक असंगत हैं।**[**पैरा **41] [793-**एच**; 794-**ए**,** डी**-**ई**]**

ई.

एफ.

2. पीडब्लू**-3,** जो मृतक का भाई था**,** का साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है क्योंकि पीडब्लू**-3** एक चश्मदीद गवाह नहीं था**,** बल्कि केवल एक सुनी सुनाई गवाह था**,** जिसने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि उसे पीडब्लू**-4** द्वारा सूचित किया गया था कि आरोपी मोहम्मद। मोयान अली ने मृतक को चाकू मार दिया इस गवाह पीडब्लू**-3** के अभिसाक्ष्य की जांच करने पर**,** यह स्पष्ट है कि इसकी पुष्टि किसी अन्य गवाह जैसे पीडब्लू**-1** और पीडब्लू**-2** के साक्ष्य से नहीं होती है**,** जिन्होंने कहा कि आरोपी मोहम्मद। जब्बार अली ने मृतक और पीडब्लू**-6** को चाकू मार दिया जिसने बताया कि आरोपी मोहम्मद। साहेद अली ए

जी.

एच.

775

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य ए

मृतक को पीटा।फास्ट ट्रैक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पीडब्लू**-3** का साक्ष्य अभियोजन मामले की शुद्धता का समर्थन करता है**,** इसलिए गलत है।इस प्रकार**,** पीडब्लू**-3** का साक्ष्य किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को सहायता नहीं देता है।**[**पैरा **42] [794-**ई**-**एच**]**

3. पीडब्लू**-4,** जो इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं।अपने स्वयं के अभिसाक्ष्य के अनुसार**,** वह घटना स्थल पर कई लोगों को इकट्ठा होते देखने के बाद गया था।उनके अनुसार**,** आरोपी**-**एम**.** एच**.** ने मृतक पर हमला किया**,** हालांकि**,** अपनी जिरह के दौरान**,** उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे नहीं पता था कि उसे किसने बताया कि आरोपी**-**एम**.** एच**.** ने मृतक को चाकू मारा था।पीडब्लू**-5** भी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था।वह यह बताने में विफल रहे हैं कि किस आरोपी ने वास्तव में मृतक को चाकू मारा था। इस प्रकार पीडब्लू**-5** का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को कोई विश्वास नहीं देता है।**[**पारस **43,44] [795-**ए**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

4. अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है क्योंकि पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-5** के साक्ष्य**/**बयानों में विरोधाभास हैं।इसके अलावा**,** सूचना देने वाले पीडब्लू**-6** का साक्ष्य पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-2** और पीडब्लू**-**

5 के बयानों के साथ असंगत है।हम पाते हैं कि अभियोजन**-**गवाहों के साक्ष्य में अंतर्निहित विरोधाभास अभियोजन के मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं करते हैं।**[**पैरा **46] [795-**ई**-**जी**]**

ई.

5. सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित**/**इच्छुक**/**पक्षपातपूर्ण गवाह हैं**,** उनकी गवाही की अवहेलना नहीं की जा सकती है**,** हालांकि**,** यह भी सच है कि जब गवाह संबंधित**/**इच्छुक होते हैं**,** तो उनकी गवाही की अधिक सावधानी और सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।तत्काल मामले में**,** अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह देखा जाता है कि सभी गवाह मृतक और एक**-**दूसरे से संबंधित हैं।यहाँ यह बताना आवश्यक है कि संबंधित गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है यदि उनकी गवाही में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियाँ पाई जाती हैं।यह देखा गया है कि पीडब्लू**-1** की गवाही में भौतिक सुधार हुए हैं।पीडब्लू**1-**ने अपनी जाँच में कहा कि आरोपी**-**एम**.** एच**.** ने मृतक को चाकू मार दिया

एफ.

जी.

एच.

हालाँकि अपनी जिरह में**,** पीडब्लू**-1** ने कहा कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि आरोपी**-**एम**.** एच**.** ने मृतक को चाकू मार दिया था।यही गवाही में सुधार है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।सभी गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए हैं कि मृतक को किसने घातक प्रहार दिया और यह भौतिक विरोधाभासों के बराबर है।अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में पर्याप्त और भौतिक विरोधाभासों के कारण**,** अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय माना जाता है।इसके अतिरिक्त**,** अभियोजन पक्ष ने केवल संबंधित गवाहों से पूछताछ की है न कि एक भी स्वतंत्र गवाह से।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** साक्ष्य अभियुक्त**-**अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों को साबित नहीं करता है।**[**पारस **48,51,52** और **54] [796-**सी**; 797-**बी**-**ई**; 798-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

6. एक अन्य पहलू जिस पर यह न्यायालय गौर करना चाहेगा वह यह है कि यह न्यायालय किस हद तक अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।कई मामलों में**,** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में**,** यह न्यायालय सामान्य रूप से उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा**,** लेकिन इस न्यायालय को

ऐसा करने का अधिकार है यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ, साक्ष्य का गलत अध्ययन या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत पाए जाते हैं।वर्तमान मामले में भी, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभासों को नजरअंदाज करते हुए दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया गया था और इसलिए उक्त दोषसिद्धि को अलग से स्थापित किया जाना चाहिए **[**पैरा **55** और **56] [798-**बी-डी**; 798-**डी-ई**]**

डी.

ई.

सरवनभवन बनाम मद्रास राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1966** एस**.** सी**. 1273;** कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1952**

एफ.

एससी 159:[1952] एससीआर 526; गंगाधर बेहरा और ओआरएस. वी.उड़ीसा राज्य (2002) 8 एससीसी 381:[2002] 3

पूरक।एससीआर **183;** राजू उर्फ बालचंद्रन और ओआरएस**.** वी**.**

तमिलनाडु राज्य (2012) 12 एससीसी 701:[2012] 11

एससीआर **109;** गणपति और अन्र**.** वी**.**तमिलनाडु राज्य

(2018) 5 एससीसी 549:[2018] 3 एस. सी. आर. 51; राजस्थान राज्य बनाम कल्कि और अन्र। (1981) 2 एससीसी 752:[1981] 3

जी.

एस**.** सी**.** आर**. 504;** अशोकसिंह जयेंद्रसिंह बनाम गुजरात राज्य

(2019) 6 एससीसी **535:[2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 309-**पर निर्भर।

सोहराब बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(1972) 3** एससीसी **751:[1973] 1** एस**.** सी**.** आर**. 472;** भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई ए**.**

एच.

777

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य ए

बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 217:[1983] 3 एससीआर

280; यू**.** पी**.** राज्य बनामएम**.** के**.** एंथनी **(1985) 1** एस**.** सी**.** सी**. 505;** पृथ्वी @पृथ्वी चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

(2009) 11 एससीसी 588:[2009] 2 एस. सी. आर. 765; राज्य

मध्य प्रदेश बनाम छक्की लाल **(2019) 12** एस**.** सी**.** सी**. 326:[2018] 12** एस**.** सी**.** आर**. 184;** दूध नाथ पांडे बनाम राज्य

बी.

उत्तर (1981) 2 एससीसी 166:[1981] 2 एस. सी. आर. 771; जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 204:[2012]

4 एस**.** सी**.** आर**. 408;** महाराष्ट्र राज्य बनाम नरसिंहराव

गंगाराम पिंपल (1984) 1 एस. सी. सी. 446-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

सी.

[1973] 1 एससीआर **472**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22.2**

[1983] 3 एससीआर **280**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22.2**

[2009] 2 एससीआर **765**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22.2**

[2018] 12 एससीआर **184**

पैरा **22.2** में संदर्भित

डी.

[1981] 2 एससीआर **771**

को संदर्भित किया गया

पैरा **22.3**

पैरा **22.3** में संदर्भित

[2012] 4 एससीआर **408**

[1952] एससीआर **526**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2002] 3 पूरक।एससीआर **183**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **48**

ई.

[2012] 11 एससीआर **109**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **49**

[2018] 3 एससीआर **51**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **50**

[1981] 3 एससीआर **504**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **52**

एफ.

[2019] 7 एससीआर **309**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **56**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2010 की आपराधिक अपील सं. 1105।

2007 की आपराधिक अपील संख्या 48 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय) के निर्णय और आदेश से।

जी.

के साथ

2010 की आपराधिक अपील सं. 1128।

एच.

778

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 15 एस सी आर।

राज किशोर चौधरी, शकील अहमद, अनुपम भाटी, नकुल चौधरी, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

शुभोदीप रॉय, अर्णव सिंह देव, मैसर्स कॉरपोरेट लॉ ग्रुप, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

नागरत्ना, जे.

1. ये आपराधिक अपीलें गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2007 के 48 में पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बारपेटा (सुविधा के लिए 'फास्ट ट्रैक कोर्ट') द्वारा 2004 के विशेष मामले में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और परिणामस्वरूप सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया है।2. चूँकि दोनों आपराधिक अपीलें एक समान विवादित निर्णय से उत्पन्न होती हैं, इन अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई थी और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

सी.

डी.

3. सुविधा के लिए, पक्षों को फास्ट ट्रैक न्यायालय के समक्ष उनके पद के अनुसार भेजा जाएगा।

4. फास्ट ट्रैक न्यायालय ने अपने दिनांकित 29.12.2006 के फैसले के माध्यम से अपीलार्थियों को दोषी ठहराया। यूनुस अली (आरोपी नंबर 1), मो. हसन अली (आरोपी संख्या 2), मो. उमर अली (आरोपी संख्या 3), मो. जब्बार अली (अभियुक्त सं. 4), मो. ताबिबोर

रहमान (आरोपी नंबर 5), मस्ट।हज़ेराभानु (अभियुक्त संख्या 6), मस्ट।चंद्रबानू (अभियुक्त सं. 7), मो. मोयान अली (आरोपी No.10) और मो. साहेद अली (आरोपी No.11) [सभी

ई.

एफ.

2010 की आपराधिक अपील संख्या 1105 में अपीलार्थियों] और मो. अजमोट अली (अभियुक्त सं. 8) [2010 की आपराधिक अपील सं. 1128 में अपीलार्थियों]।

5. वर्तमान अपील अभियुक्त संख्या 1 दिनांकित 04.10.2010 आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि उपरोक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान 06.11.2009 पर उसकी मृत्यु हो गई थी।

जी.

6. आई. डी. 1 के अपने फैसले के अनुसार, फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आरोपी आई. डी. 2,10 और 11 को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 2,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और भारतीय ए की धारा 149 सहपठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दो महीने के लिए और सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

एच.

779

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.')।इनमें से प्रत्येक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक-एक साल के लिए सश्रम कारावास, आई. पी. सी. की धारा 148 सहपठित धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने के लिए सश्रम कारावास और आई. पी. सी. की धारा 447 सहपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

बी.

7. फास्ट ट्रैक न्यायालय के इसी फैसले से आरोपी संख्या 2,3,6,7 और 8 को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक-एक साल के लिए साधारण कारावास, आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास और आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।8. फास्ट ट्रैक न्यायालय के फैसले के अनुसार, आरोपी आई. डी. 1 और

5 को आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक-एक साल के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई; आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साल के लिए साधारण कारावास, आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने के लिए साधारण कारावास और आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित धारा 447 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

9. वर्तमान में सभी आरोपी-याचिकाकर्ता जमानत पर हैं।अभियुक्त संख्या 4 और अभियुक्त संख्या 6 को इस न्यायालय के दिनांकित 18.08.2017 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी; अभियुक्त संख्या 1 को दिनांकित 03.04.2017 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी और अभियुक्त संख्या 2,5,6,7 और 8 को दिनांकित 25.10.2010 के आदेश द्वारा जमानत दी गई थी।

एफ.

10. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 19.11.1999 पर लगभग 7 बजेः00 ए. एम. जब एम. बाजु मलिक (पीडब्लू-6) अपनी जमीन की जुताई करने गया था, उसके और आरोपी के बीच झगड़ा हो गया।उस समय, दूसरे सह-अभियुक्तों ने फला, जोंग, खंजर, लाठी आदि से लैस होकर मोहम्मद पर हमला किया। बाजु मलिक।एक्कबर अली, मो। समद अली (पीडब्लू-1) और जोनाब अली (पीडब्लू-4) घटना स्थल पर पहुंचे, जहां आरोपी नंबर 2 ने एक्कबर अली के पेट में फाला से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप एक्कबर अली बेहोश हो गया और उसके तुरंत बाद उसने दम तोड़ दिया।उस आरोपी No.11 ने मोहम्मद को चाकू मार दिया। समद अली (पीडब्लू-1) एक फाल्ला के साथ जबकि आरोपी नंबर 8 को चाकू मारा गया

जी.

एच.

मछली पकड़ने के प्रोंग के साथ पीडब्लू-1।इसके अलावा, आरोपी नंबर 5 ने पी. डब्ल्यू.-4 पर भाले से वार किया।अन्य आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर घटना स्थल पर मौजूद थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति आकर कथित अपराधों को होने से न रोक सके।

11. मोहम्मद द्वारा एक एफ. आई. आर./एजहार दर्ज की गई थी। लगभग 9 बजे 19.11.1999 पर बाजु मलिकः00 ए. एम. जो पुलिस स्टेशन, बारपेटा में आई. पी. सी. की धारा 147/148/149 447/323/324 307/302 के तहत मामला संख्या 1022/99 दर्ज किया गया था। 12.पुलिस द्वारा जाँच के बाद, उपरोक्त अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

बी.

13. अभियुक्त विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारपेटा के न्यायालय में पेश हुए, लेकिन चूंकि धारा 307/302 के तहत न्यायालयनीय अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, इसलिए विद्वान एडीजे ने मामले को सत्र न्यायालय, बारपेटा को सौंप दिया।अभियुक्त सत्र न्यायालय, बारपेटा के समक्ष पेश हुआ लेकिन मामले को निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, बारपेटा में स्थानांतरित कर दिया गया।

सी.

डी.

14. इसके बाद, आरोपी फास्ट ट्रैक न्यायालय में पेश हुआ और मुकदमे का सामना किया। अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए गए और उन्हें पढ़ा गया और अभियुक्तों को समझाया गया, जिस पर उन्होंने 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।15. अभियोजन पक्ष ने कुल दस गवाहों से पूछताछ की।इसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए।सभी अभियुक्तों ने कथित घटना से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।अभियुक्त ने अपने बचाव के समर्थन में दो गवाहों से भी पूछताछ की।

ई.

एफ.

16. फास्ट ट्रैक न्यायालय अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचाः

(i) पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, यह ध्यान दिया जाता है कि पीडब्लू-1 का साक्ष्य पीडब्लू-2 के साक्ष्य को समर्थन देता है।पीडब्लूएस-1 और 2 के साक्ष्य भी चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि करते हैं।घटना स्थल पर इन गवाहों की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है।घटना में दोनों घायल गवाह हैं और उन्हें उक्त दिन चोटें आईं।

जहाँ तक अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का संबंध है, बचाव पक्ष इन गवाहों की विश्वसनीयता पर महाभियोग चलाने में विफल रहा और ए

जी.

एच.

781

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

इसलिए, पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय हैं और वही विश्वसनीय गवाह हैं।इन गवाहों के नेत्र साक्ष्य ने डॉ. डी. सी. सरमा (पीडब्लू-7) और डॉ. एस. सी. सरमा (पीडब्लू-9) द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा साक्ष्य के साथ पुष्टि की।

(ii) इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले के मुखबिर पीडब्लू-6 के साक्ष्य में पीडब्लू-1 और 2 के साक्ष्य के साथ मामूली भिन्नताएं हैं, लेकिन इस गवाह ने स्पष्ट रूप से आरोपी-साहेद अली को फंसाया है जो पीडब्लू-1 और 2 के साक्ष्य से पुष्टि करता है।पीडब्लू-6 के संस्करण पर भी अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

बी.

सी.

(iii) इनाम अली (पीडब्लू-3) जो एक कथित गवाह है, जोनाब अली (पीडब्लू-4) जिसे घटना के दौरान अपनी बाईं अनामिका उंगली पर चोट लगी और हकीम खान (पीडब्लू-5) जो एक चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन आरोपी को घटना स्थल के पास देखा, अभियोजन पक्ष के मामले की शुद्धता को विश्वास दिलाता है।

डी.

((iv) जाँच अधिकारी बिसेश्वर सिंघा (पीडब्लू-10) ने घटना स्थल का रेखाचित्र/नक्शा तैयार किया और अपने हस्ताक्षर के साथ इसे साबित किया।रेखाचित्र/मानचित्र से पता चलता है कि घटना का स्थान एक विवादित भूमि है।हालाँकि, मुखबिर और अभियुक्त दोनों ने भूमि पर दावा किया है, लेकिन अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह पता चलता है कि जिस विवादित भूमि पर घटना हुई थी, वह शिकायतकर्ता पक्ष के कब्जे में थी।जाँच के दौरान, पीडब्लू-10 ने हमले का हथियार भी जब्त कर लिया और एक जब्ती सूची तैयार की जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

ई.

एफ.

(v) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताई गई विसंगतियां तुच्छ प्रकृति की हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले को नष्ट या ध्वस्त कर दिया है। विसंगतियाँ स्मृति की सामान्य त्रुटियों या समय के अंतराल के कारण होती हैं।इसके अलावा, बचाव पक्ष के दो गवाहों के साक्ष्य अभियुक्त द्वारा ली गई बहाना की याचिका की पुष्टि करने में विफल रहे।

जी.

(vi) बचाव पक्ष के गवाह यह स्थापित करने में विफल रहे कि आरोपी व्यक्ति घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने मृतक की हत्या नहीं की थी।

एच.

व्यक्ति।डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक की सुबह 7 या 8 बजे हत्या कर दी गई थी और तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सभी अभियुक्तों को एफ़. आई. आर. में नामित किया गया था। पार्टियाँ एक-दूसरे को जानती थीं।इस प्रकार, यह साबित होता है कि सभी आरोपी एक गैरकानूनी सभा बनाकर फल्ला, लाठी, सुरकी आदि घातक हथियारों से लैस होकर घटना स्थल पर आए थे।उनमें से, आरोपी मो. साहेद अली, मो. जब्बार अली और मो. हसन अली ने पीडब्लू-1 पर एक कुंद वस्तु से हमला किया; आरोपी-एम. डी. यूनुस अली और मो. ताबिबोर रहमान ने पीडब्लू-2 पर एक तेज नुकीले हथियार से हमला किया; आरोपी-एम. डी. अजमोट अली ने पीडब्लू-4 पर हमला किया और मोहम्मद पर आरोप लगाया। साहेद अली ने पीडब्लू-5 पर हमला किया।अभियुक्त-एम. डी. जब्बार अली, मो. साहेद अली और मो. मोयान अली ने एक्कबर अली को एक घातक प्रहार दिया जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए हथियार खतरनाक हथियार थे जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अभियुक्त का इरादा एक्कबर अली को मारने का था। इस प्रकार, सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

बी.

सी.

डी.

17. अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक अपील में, उनकी ओर से और साथ ही राज्य की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में उल्लेख कियाः

ई.

(i) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पीडब्लू-6 को उस भूमि पर जुताई करने से रोकने के लिए जहां घटना हुई थी, आरोपी लाठी, मछली पकड़ने के हथियार, फाला और सुरकी जैसे खतरनाक हथियारों से लैस होकर उस भूमि पर आया था। घटना के दिन अभियुक्त व्यक्तियों (जो पाँच से अधिक थे) की एक सभा का गठन किया गया था और इन गवाहों के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों का इरादा उस भूमि पर कब्जा करने का था जिस पर पीडब्लू-6 जुताई कर रहा था और उसे आगे भूमि की जुताई करने से रोकने का था।अभियोजन पक्ष ने एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा के गठन को सफलतापूर्वक स्थापित किया है।

एफ.

जी.

(ii) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-5 और पीडब्लू-6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जब मृतक एक्कबर अली ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उसके पेट पर एक तेज हथियार से चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई और वे ए थे।

एच.

783

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

अभियुक्त-एम. डी. के कहने पर किया गया। साहेद अली। चोटों का कारण अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा बनाई गई गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना था।यद्यपि यह सही है कि गवाहों के साक्ष्य इस संबंध में भिन्न हैं कि किस अभियुक्त ने मृतक के पेट पर चोट पहुंचाई थी, उक्त तथ्य बहुत प्रासंगिक नहीं होगा यदि दायित्व अन्यथा आई. पी. सी. की धारा 149 के प्रावधानों के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, यह माना गया कि मो। जब्बार अली, मो. साहेद अली और मो. मोयान अली, एक गैरकानूनी सभा के सदस्य होने के नाते (मृतक) एक्कबर अली की मौत के लिए उत्तरदायी थे।

बी.

सी.

((ग) यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए और ऐसे साक्ष्य को अलग-अलग खंडों में नहीं रखा जा सकता है और अलग से विचार नहीं किया जा सकता है।प्रशंसा विभिन्न गवाहों द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की समग्रता की होनी चाहिए।हालांकि यह सही है कि पीडब्लू-6 ने केवल चार अभियुक्त व्यक्तियों को फंसाया था, उक्त गवाह के साक्ष्य को अभियोजन मामले का दूसरा संस्करण नहीं माना जा सकता है।पीडब्लू-6 का साक्ष्य पूरक है और वर्तमान मामले में जांचे गए अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य का अपमान नहीं है।

डी.

ई.

((iv) पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 को लगी चोटों की पुष्टि पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 के साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रदर्शित चोटों की रिपोर्ट से पूरी तरह से होती है।

(v) पीडब्लू-10 के साक्ष्य ने स्थापित किया कि पीडब्लू-6 ने खेती के लिए भूमि 'आधी' के आधार पर दी थी और यह कि अभियुक्त व्यक्ति का भूमि पर अधिकार भी स्थापित नहीं हुआ है। (vi) आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित आई. पी. सी. की धारा 447 के तहत फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने और सजा देने में कोई गलती नहीं थी। कि जब तत्काल मामले में सभी अभियुक्तों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था और अकबर अली की मृत्यु गैरकानूनी सभा के कुछ सदस्यों द्वारा की गई चोटों के कारण हुई थी, तो फास्ट ट्रैक न्यायालय ने ग्यारह अभियुक्तों में से केवल तीन को आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और अन्य को उक्त आरोपों से बरी कर दिया गया।

एफ.

जी.

एच.

हालाँकि, इस तरह के बरी होने का कारण स्पष्ट नहीं था, क्योंकि उक्त अभियुक्त के बरी होने के फैसले को चुनौती नहीं दी गई थी, उच्च न्यायालय ने उक्त प्रश्न में आगे बढ़ने से परहेज किया।

((vii) प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में त्वरित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और सजा को इस प्रकार बरकरार रखा गया और पूरी तरह से पुष्टि की गई।

बी.

18. हमने अपीलकर्ता-अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राज किशोर चौधरी और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शुवोदीप रॉय को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

सी.

19. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में सही नहीं था।अपीलार्थियों के वकील ने आगे तर्क दिया कि न्यायालयों के विवादित निर्णय कानूनी और साथ ही तथ्यात्मक दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और उनमें निष्कर्ष विकृत हैं और उन्हें दरकिनार किया जाना है और अपीलार्थियों को बरी किया जा सकता है।

डी.

20. अपीलार्थी-अभियुक्त के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुतियों के विवरण को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता हैः

20.1 यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कोई कथित गैरकानूनी सभा, दंगा, हत्या और सभी कथित अपराधों को जांच अधिकारी-बिसेश्वर सिंह (पीडब्लू-10) द्वारा गलत तरीके से गढ़ा गया है।अपीलार्थियों का मामला यह है कि वे न तो उपस्थित थे और न ही कथित घटना में भाग लिया था।

ई.

20.2 पीडब्लू-10 द्वारा जाँच कानून द्वारा आवश्यक रूप से नहीं की गई थी।अपीलार्थियों के वकील ने यह आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने कहा कि 100 से 150 लोग घटना स्थल पर एकत्र हुए थे।हालाँकि, अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा।जिन गवाहों से पूछताछ की गई वे पीडब्लू-10 के प्रभाव में थे जिन्होंने अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाया था।इसके अलावा, पीडब्लू-1 से पीडब्लू-6 तक के गवाह, जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ की गई थी, एक-दूसरे से संबंधित थे।एफ. आई. आर. की सामग्री और गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में भौतिक विरोधाभास हैं।पीडब्लू-10 द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे।अपीलार्थियों के भूमि दस्तावेजों को पीडब्लू-10 द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था क्योंकि वे ए थे।

एफ.

जी.

ऐसा करना आवश्यक है।पीडब्लू-10 ने अपने कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही की है और उचित तरीके से जांच नहीं की है।

20.3 निम्नलिखित न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि विवाद केवल भूमि से संबंधित था और आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध के तत्व नहीं बनाए गए थे और इस तरह, दोषसिद्धि कानून में गलत थी।चूंकि आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध नहीं बनाया गया था, इसलिए आरोपी संख्या 4,10 और 11 को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। मृतक को घातक प्रहार किसने दिया, इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं है।

बी.

सी.

20.4 निम्नलिखित न्यायालयों को आपराधिक न्याय के प्रशासन के मूल सिद्धांत यानी अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान पर विचार करना चाहिए था।वर्तमान मामले में, उचित संदेह से परे कुछ भी साबित नहीं हुआ था और नीचे दिए गए न्यायालय अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह के लाभ से वंचित करने में उचित नहीं थे।

डी.

21. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य को सही ढंग से माना और मूल्यांकन किया है।

ई.

22. प्रत्यर्थी-राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

22.1 वर्तमान मामला साक्ष्य प्राप्त करने का मामला है और पी. डब्ल्यू.-1, पी. डब्ल्यू.-2, पी. डब्ल्यू.-4 और पी. डब्ल्यू.-5 घायल चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता को उचित संदेह से परे साबित किया गया है, जिसकी पुष्टि अभिलेख पर विधिवत साबित चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है।

एफ.

22.2 नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि पीडब्लू-6 के अभिसाक्ष्य में मामूली विसंगतियां पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-6 के लगातार अभिसाक्ष्यों को ध्वस्त/नष्ट नहीं करती हैं।5. यह वास्तव में पूरक है और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य का अपमान नहीं है।मृतक को चाकू मारने वाले के बारे में विसंगति पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाही के मूल्य को नकारती नहीं है क्योंकि यह मामले की जड़ तक नहीं जाती है।जब तक सबूत

जी.

एच.

इसमें सत्य का एक चक्र होता है, जिसे विसंगतियों के अस्तित्व के कारण त्याग नहीं किया जा सकता है।प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने साक्ष्य के उपचार से संबंधित सिद्धांतों का निपटारा किया है जब विसंगतियों का आरोप लगाया जाता है और इसके निर्णयों पर भरोसा किया जाता है

इस न्यायालय ने (i) सोहराब बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1972) 3 एस. सी. सी. 751, (ii) भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 217, (iii) यू. पी. राज्य बनाम।एम. के. एंथनी (1985) 1 एस. सी. सी. 505, (iv) पृथ्वी @पृथ्वी चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 588 और (v) मध्य प्रदेश राज्य बनाम छक्की लाल (2019) 12 एस. सी. सी. 326।

बी.

सी.

22.3 अभियुक्त द्वारा दावा की गई बहाना की याचिका बचाव पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुई है।राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि बहाना याचिका के संबंध में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 और धारा 103 प्रासंगिक हैं।इसके अलावा, बहाना की दलील को पूर्ण निश्चितता के साथ साबित किया जाना चाहिए ताकि घटना के स्थान पर संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।न तो डी. डब्ल्यू.-1 और न ही डी. डब्ल्यू.-2 ने आरोपी मोहम्मद की उपस्थिति की पुष्टि की। साहेद अली अपने घर में या अपने बहाने पर डकैती की कथित घटना।बहाना कमजोर है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के साथ विरोधाभास पैदा नहीं करता है।प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता -

डी.

ई.

राज्य ने दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर राज्य (1981) 2 एस. सी. सी. 166, जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एस. सी. सी. 204 और महाराष्ट्र राज्य बनाम नरसिंहराव गंगाराम पिंपल (1984) 1 एस. सी. सी. 446 पर निर्भरता रखी।

एफ.

23. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होंगेः

(क) क्या उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों-अभियुक्तों को दी गई दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में उचित था?

जी.

(ख) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप या संशोधन की आवश्यकता है?

((ग) कौन-सा आदेश?

एच.

787

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

24. आगे बढ़ने से पहले, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते समय अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को याद करना उपयोगी होगा।

25. सी. आर. पी. सी. की धारा 374 दोषसिद्धि की अपीलों से संबंधित है।यद्यपि यह एक स्थापित कानून है कि यह न्यायालय व्यापक रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और अभियुक्त की निर्दोषता या अपराध के बारे में नई राय नहीं लेगा ताकि नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा सके, हालाँकि यह न्यायालय कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।ऐसा एक मामला तब होता है जब साक्ष्य का अनुचित स्वागत या अस्वीकृति होती है, जिसे यदि त्याग दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो दोषसिद्धि असमर्थनीय हो जाती है। यह न्यायालय ऐसे मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है जहां महत्वपूर्ण साक्ष्य का गलत अध्ययन किया गया है या न्यायालय अभियुक्त के पक्ष में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने से चूक जाता है। {सरवनभवन वी. देखें।

बी.

सी.

मद्रास राज्य ए. आई. आर. **1966** एस. सी. **1273}**

26. जहां उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष विकृत, अपर्याप्त है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है, यह न्यायालय स्वयं साक्ष्य पर पुनर्विचार के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजने के बजाय साक्ष्य पर अपील की सुनवाई कर सकता है, जब बाद के पाठ्यक्रम से अनावश्यक देरी या कठिनाई हो सकती है।{कश्मीरा सिंह

डी.

बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. **1952** एस. सी. **159}**

27. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों की सराहना करने और उच्च न्यायालय और त्वरित अदालत द्वारा पारित निर्णयों में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक होगा।28. पीडब्लू-1-मो. समद अली, घटना में कथित रूप से घायल व्यक्तियों में से एक है।मृतक एक्कबर अली उसका चचेरा भाई (पैतृक चाचा का बेटा) था।उनके अनुसार, लगभग 7 बजे:00 घटना के दिन सुबह, पीडब्लू-6 अपने खेत की जुताई करने गया था जब मो. साहेद अली अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को पीडब्लू-6 के मैदान में ले गया।अभियुक्तों को पीडब्लू-6 के मैदान में जाते देख पीडब्लू-1 मृतक एक्कबर अली के साथ पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 भी मैदान में आ गए।इस गवाह के अनुसार, मो. साहेद अली ने बाकी अभियुक्तों को अन्य व्यक्तियों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद अभियुक्त मोहम्मद। अजमत अली ने पी. डब्ल्यू.-1 को मछली पकड़ने के प्रोंग से बाएं हाथ में फंसा दिया, जबकि आरोपी मोहम्मद। हसन अली ने उसके पेट में छुरा घोंपने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ में चोट लग गई।इस गवाह ने आगे कहा कि मो. जब्बार अली ने मृतक एकब्बर अली के पेट के निचले हिस्से में एक सुरकी (भाला) से वार किया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

जिसके बाद मृतक नीचे गिर गया।पीडब्लू-1 ने यह भी बयान दिया कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 को चोटें आईं और घायल एककार अली को बरेक बेपारी के घर ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई।अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-1 ने कहा कि उसका घर घटना स्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह मोहम्मद। साहेद अली ने जबरन उस जमीन पर कब्जा कर लिया था जिस पर यह घटना हुई थी।पीडब्लू-1 ने कहा कि पीडब्लू-6 उनकी भतीजी का पति है।पीडब्लू-1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि पुलिस ने घटना स्थल पर उससे पूछताछ नहीं की।उन्होंने आगे कहा कि कुछ 15-20 लोग घटना स्थल पर मौजूद थे और पीडब्लू-6 मोहम्मद की जुताई कर रहा था। साहेद अली की भूमि।झगड़ा तब हुआ जब मो। साहेद अली ने अपने खेत की जुताई के उक्त कार्य पर आपत्ति जताई।पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने पुलिस को श्री जब्बार अली द्वारा उसकी बांह में छुरा घोंपने के बारे में नहीं बताया और वह मोहम्मद। अजमोत अली ने ऐसा किया।जिरह में उसके बयान के अनुसार, उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि मो. ताबिबोर रहमान ने उनके दाहिने हाथ में चाकू मार दिया।पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने पुलिस को मोहम्मद के बारे में नहीं बताया। जब्बार अली ने एककार अली को चाकू मार दिया क्योंकि पुलिस ने उससे नहीं पूछा था।अपनी जिरह में, पीडब्लू-1 ने कहा कि यह केवल तभी हुआ जब एककार अली का शव घटना स्थल से लिया गया था कि उन्हें मोहम्मद के बारे में पता चला। जब्बार अली ने एककार अली को चाकू मार दिया। पीडब्लू-1 ने आगे इस बात से इनकार कर दिया कि उसके पास पीडब्लू-6 की भूमि या मोहम्मद के पास कोई भूमि है। साहेद अली की भूमि।

बी.

सी.

डी.

29. पीडब्लू-2-मो. बसरुद्दीन एक अन्य गवाह है जो घटना के दौरान घायल हो गया, जिसने कहा है कि मृतक एक्कबर अली उसका मामा था और लगभग 7 बजेः00 ए. एम. सड़क पर चलते समय, उन्होंने घटना स्थल पर शोर-शराबा सुना।जब पीडब्लू-2 घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि सभी आरोपी व्यक्ति लाठी, फला, हन्ना, सुरकी आदि के साथ मौजूद थे और आरोपी व्यक्ति जमीन की जुताई को लेकर पीडब्लू-6 के साथ झगड़ा कर रहे थे।पीडब्लू-2 ने अपदस्थ कर दिया कि उसने पक्षों से झगड़ा न करने का अनुरोध किया था।उन्होंने पदच्युत किया कि घटना के समय, मो। साहेद अली ने दूसरे आरोपी को पीडब्लू-2 को चाकू मारने के लिए प्रोत्साहित किया।मृतक एक्कबर अली उनके सामने था और वह मोहम्मद। मोयान अली ने अकबर अली को पकड़ लिया जबकि आरोपी मोहम्मद। जब्बार अली ने एककार अली के पेट के निचले हिस्से में एक सुरकी से वार किया।उन्होंने उस आरोपी मोहम्मद को पदच्युत कर दिया। यूनुस अली ने उसे अपने दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में फस्का से मारा, जबकि आरोपी मोहम्मद। ताबिबोर रहमान ने उनके बाएं हाथ के ऊपरी पृष्ठीय हिस्से में एक फल्ला से उन्हें मारा था।यह देख वह घटनास्थल से फरार हो गया।आरोपी मो. अजमोत अली और मो. हसन अली

के हाथ और बांह पर पीडब्लू-1 घायल हो गया।कि एक्कबर अली को बरेक बेपारी के घर ले जाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने ए के लिए इलाज कराया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

789

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

चोटें।उनकी जिरह में, घटना की घटना का स्थान रेज़्ज़ाक अली का था और यह कि पट्टा उनके नाम पर है।उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी का नाम मोहम्मद है या नहीं। साहेद अली को पट्ट में उत्परिवर्तित किया गया था या नहीं।वह 10-15 मिनटों के बाद घटना स्थल पर पहुंचा, जहाँ 50-60 लोग वहाँ जमा हो गए।पीडब्लू-2 ने कहा कि एक्कबर अली को पेट के निचले हिस्से के दाहिने हिस्से में चोट लगी है और उन्हें केवल एक चोट लगी है। पीडब्लू-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि लोगों को इस घटना के बारे में पता था या नहीं।30. पीडब्लू-3-एम. डी. इनाम अली मृतक एक्कबर अली के भाई हैं जिन्होंने लगभग 7 बजे पदच्युत किया था:00 घटना के दिन जब वह खेत में जुताई कर रहा था, तो एक युवा लड़का आया और उसे घटना की जानकारी दी।उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि वह घटना स्थल पर गए और अपने बड़े भाई एक्कबर अली को मृत पाया।उनके अनुसार, पीडब्लू-4 ने उन्हें सूचित किया कि मो. मोयान अली ने एक्कबर अली को मार डाला था और आगे कहा कि पीडब्लू-4 और पीडब्लू-1 मोहम्मद द्वारा घायल कर दिए गए थे। अजमोत अली। जैसे ही वह घटना स्थल पर पहुंचा, आरोपी लोग वहां से भाग गए।अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-3 ने कहा कि जिस भूमि पर घटना हुई वह एक वार्षिक पट्टा भूमि है और वह भूमि के डग और पट्टा संख्या को नहीं जानता था।उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें देश की सीमाएँ पता थीं।उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ मुसलमानों को उस खेत में जुताई करते हुए भी देखा था जिस पर यह घटना हुई थी और वह अपनी जमीन जो घटना स्थल से लगभग 2 से 3 बीघा दूर थी, उसे जुताई कर रहे थे।घटना स्थल पर पहुंचने पर, उसने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ कौन मौजूद थे और आरोपी व्यक्ति भाग गए।अभियुक्त व्यक्तियों के अलग-अलग घर हैं।पीडब्लू-3 ने अपनी जिरह में आगे कहा कि उसने पुलिस को बताया कि पीडब्लू-4 ने उसे बताया कि मो. मोयान अली ने एक्कबर अली पर हमला किया। दोनों पक्षों ने भूमि के कब्जे को लेकर लड़ाई लड़ी और घटना के दिन ही, मो. साहेद अली ने उनके (जोनाब, राजू मलिक और बसर) खिलाफ उनके घर को लूटने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

31. पीडब्लू-4-एम. डी. जोनाब अली मृतक का एक और भाई है।उन्होंने लगभग 7 बजे पदच्युत कियाः00 घटना के दिन, वह अपनी जमीन की जुताई कर रहा था जो घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर है।घटना स्थल पर 100-150 लोगों को इकट्ठा होते देख वह घटना स्थल पर गए।मो. अजमोत अली ने उसे फस्का से मारने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप वह जमीन पर गिर गया और खड़े होने पर उसने चार-पाँच लोगों को एककार अली को ले जाते देखा। उन्होंने एककार अली के पेट पर चोट भी देखी, जिसके अनुसार, मोहम्मद ने उस पर हमला किया था। हसन अली। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि मृतक एक्कबर अली और

जी.

एच.

पीडब्लू-6 में जमीन पर कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ था।उन्होंने एककार अली को छोड़कर घटना स्थल पर किसी को भी चोट नहीं देखी। इस गवाह के अनुसार, पीडब्लू-2 बाद में घटना स्थल पर आया।उन्हें उन लोगों का नाम नहीं पता था जिन्होंने उन्हें बताया था कि मो. हसन अली ने एक्कबर अली पर हमला किया था और उसने पुलिस को यह नहीं बताया था।अपनी जिरह में, पीडब्लू-4 ने कुछ अन्य झगड़े का उल्लेख किया है जो दोनों समूहों के बीच मोहम्मद से दूर किसी स्थान पर हुआ था। साबिद अली का घर।उन्होंने उनके खिलाफ दायर मामले का भी उल्लेख किया जिसमें उनके द्वारा मोहम्मद में डकैती का आरोप लगाया गया था। साबिद अली का घर।अपनी जिरह में, पीडब्लू-4 ने कहा कि वह यह नहीं कह सकता कि आरोपी व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद थे या नहीं।पीडब्लू-1 और पीडब्लू-3 उनके भाई हैं और पीडब्लू-6 उनकी भतीजी का पति है।32. पीडब्लू-5-मो. हकीम खान, जो मृतक एक्कबर अली के बहनोई हैं, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि लगभग 8 बजेः00 घटना के दिन सुबह वह कुछ उर्वरक खरीदकर साइकिल से घर जा रहा था।इस गवाह के अनुसार, मो. साहेद अली, मो. ताबीबुर रहमान, मो। साबिद अली, मस्ट।चंद्रभानु, मस्ट।हजारभानु और मो. यूनुस अली एक साथ उनकी ओर आए और कहा कि 'एक्कबर अली' खत्म हो गई है।इसे पकड़ो '।उनके अनुसार, मो. साहेद अली ने उनके दाहिने कंधे पर लाठी से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वे नीचे गिर गए और बेहोश हो

गए और उनके सबसे बड़े बेटे अनवर खान, दामाद और उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल ले गए। पीडब्लू-5 ने बताया कि एक्कबर अली को दाहिने गुर्दे में चोटें आई हैं।अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उस पर केवलपारा में एक जिट्टू अली के घर के पास हमला किया गया और वह घायल हो गया।हमले की घटनाएँ दो स्थानों पर हुईं।जिन स्थानों पर उन पर हमला किया गया था और एक्कबर अली को मार दिया गया था, उनके बीच की दूरी एक फ़र्लांग है।इस गवाह ने कहा कि उसे नहीं पता था कि बाकी अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी ओर भागने और उस पर हमला करने के अलावा क्या किया था।उसे झगड़े का कारण पता नहीं था।अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि उसने पुलिस को एककार अली पर हमला करने वाले अभियुक्तों के बारे में नहीं बताया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

33. पीडब्लू-6-बाजू मलिक, पहले मुखबिर, ने घटना के दिन की सुबह, लगभग 7 बजे पदच्युत कियाः00 ए. एम. जब वह अपनी जमीन की जुताई कर रहा था, तो आरोपी, अर्थात्, मो. साहेद अली, मो. साबिद अली, मस्ट।हज़ेराभानु और मस्ट।चंद्रभानु जमीन पर आया और उसे जुताई न करने के लिए कहा।उक्त मुद्दे पर बहस हुई।इस गवाह के अनुसार, उस समय मृतक एक्कबर अली सड़क के किनारे अपने कार्यस्थल जा रहा था।पीडब्लू-6 ने एक्कबर अली को अपनी जमीन पर बुलाया और बाद वाले ने आरोपी व्यक्तियों को पीडब्लू-6 के साथ झगड़ा नहीं करने के लिए कहा।पीडब्लू-ए

जी.

एच.

6 उस समय उसे अपदस्थ कर दिया, मो। साहेद अली ने आदेश दिया कि एक्कबर अली पर हमला किया जाना चाहिए और इसलिए मोहम्मद। साबिद अली, मस्ट।हज़ेराभानु और मस्ट। चंद्रभानु ने एक्कबर अली को कसकर पकड़ लिया जबकि मोहम्मद। साहेद अली ने उसके पेट में चाकू से वार किया।उसके अभिसाक्ष्य के अनुसार, उस पर हमला करने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वह भाग गया।भागते समय वह पीडब्लू-4 से मिला और उसे घटना की जानकारी

दी।पीडब्लू-6 ने ग्रामीणों को उक्त घटना के बारे में भी सूचित किया और घटना स्थल पर लौटने पर उन्होंने एककार अली को घायल अवस्था में खेत में पड़ा पाया।अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि वह अपनी जमीन की जुताई कर रहे थे, हालांकि उन्हें अपनी जमीन के डग और पट्टा के बारे में पता नहीं था।उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल आरोपी मोहम्मद को देखा था। साहेद अली, मो. साबिद अली, मस्ट।हज़ेराभानु और मस्ट।घटना स्थल पर चंद्रभानु और कोई अन्य नहीं था और जब वह भाग रहा था तो उसने पीडब्लू-4 को इसकी सूचना दी।10-15 मिनटों के बाद, वह घटना स्थल पर लौट आया और केवल 4 अभियुक्त व्यक्तियों को देखा और कोई अन्य व्यक्ति नहीं।उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर केवल अकबर अली और वह थे।उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगी है या नहीं।उन्होंने कहा कि मो. सैयद अली ने उन्हें मैदान में जुताई नहीं करने के लिए कहा था।उक्त भूमि उन्हें उनके मामा मोहम्मद ने दी थी। हालाँकि, रेज़्ज़ाक अली ने उस संबंध में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं किया है।इस गवाह ने कहा कि उसने पुलिस को आरोपी मोहम्मद के बारे में नहीं बताया। सैयद अली पी. डब्ल्यू.-1 पर एक फाल्ला से वार कर रहा है।उनके अनुसार, पीडब्लू-1 ने इसे अपने हाथ से पकड़ा और इसके परिणामस्वरूप उनके हाथ में चोट लग गई।उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं बताया कि मो. यूनुस अली ने पीडब्लू-2 को घायल कर दिया था और वह मोहम्मद। हसन अली ने एककार अली को घायल कर दिया। उन्हें एम. डी. के पास होने वाली किसी भी घटना की जानकारी नहीं थी। सैयद अली का घर।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जिस जमीन पर घटना हुई वह मोहम्मद की थी। साहेद अली। उन्होंने अपनी जिरह में यह भी कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि किस ने किस पर हमला किया।इस गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कहा कि मृतक एक्कबर अली उसके मामा थे।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

34. पीडब्लू-7-डॉ. डी. सी. सरमा, जो बारपेटा सिविल अस्पताल में काम कर रहे थे, ने कहा कि 19.11.1999 पर उन्होंने पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 की जांच की।रिपोर्ट पीडब्लू-7 द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा क्रमशः Ext.2,4 और 3 के रूप में प्रदर्शित की गई थी।चोट की रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें सरल थीं और एक कुंद हथियार के कारण पाई गई थीं।

जी.

35. पीडब्लू-8-डॉ. पी. एन. उजिर ने एक्कबर अली के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ext.5 ने संकेत दिया

कि एक चाकू की चोट निचले पेट के बाईं ओर पाई गई थी और पेरिटोनियम का टूटना बड़ी आंत के छिद्रण के साथ पाया गया था।डॉक्टर की राय के अनुसार, मौत का कारण सदमे और चोट के कारण रक्तस्राव था।मृतक के शरीर पर केवल एक चोट पाई गई।अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि चोट किसी तेज हथियार से लगी हो सकती है।

बी.

36. पीडब्लू-9-डॉ. एस. सी. सरमा ने बारपेटा सिविल अस्पताल में पीडब्लू-2 की जाँच 19.11.1999 पर की थी और अपनी रिपोर्ट, Ext.6 में, यह उल्लेख किया गया था कि उन्हें दाहिने हाथ के पृष्ठभाग में दो छोटी-छोटी चोटें मिलीं।चोटें सरल थीं और नुकीले हथियार से लगी थीं।

37. पीडब्लू-10-बिसेश्वर सिंघा तत्काल मामले में जांच अधिकारी हैं जिन्होंने यह बयान दिया कि पीडब्लू-6 ने एक लिखित एजहार दर्ज किया है।उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज की, शिकायतकर्ता से पूछताछ की, घटना स्थल का दौरा किया, गवाहों से पूछताछ की और अपने हस्ताक्षर-Ext.7 (i) के साथ घटना स्थल का एक रेखाचित्र/नक्शा-Ext.7 बनाया।उन्होंने अपदस्थ किया कि उन्होंने 9 इंच लंबे नुकीले लोहे के धागे से लैस 10 फुट 7 इंच लंबे बांस के खंभे, 2 फुट 11 इंच लंबे बांस के खंभे से लैस 9 इंच लंबे लोहे के खंभे और 14 इंच लंबे नुकीले लोहे के खंभे से लैस 11 फुट 2.5 इंच लंबे बांस के खंभे को जब्त किया।Ext.10 (1) इंस्पेक्टर तनु हजारिका के हस्ताक्षर हैं।इस गवाह के अनुसार, उसने मृतक एक्कबर अली के शव को पोस्टमार्टम के लिए बारपेटा सिविल अस्पताल भेज दिया और जांच पूरी होने पर उसने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि यह घटना मुस्लिमउद्दीन की जमीन पर हुई थी और उन्होंने पीडब्लू-6 यानी पहले मुखबिर और आरोपी व्यक्तियों के भूमि दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया था।डायरी में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी सैयद अली के घर में तोड़फोड़ की गई थी।आरोप-पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अपनी जिरह में, पीडब्लू-10 ने कहा कि उसने अपने अभिसाक्ष्य के दिन न्यायालय में उसके द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को नहीं देखा।उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने गवाह के रूप में अनवर खान से पूछताछ नहीं की।पीडब्लू-10 ने कहा कि पीडब्लू-6 और पीडब्लू-4 ने उन्हें घटना के बारे में बताया।38. अभियुक्त ने दो गवाहों से पूछताछ की।डी. डब्ल्यू.-1-फुल खातून ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा कि मोहम्मद के घर में झगड़ा हुआ था। साहेद अली, कुछ ज़मीन पर, लगभग 4-5 साल पहले।डी. डब्ल्यू.-1 ने हालांकि कहा कि वह यह नहीं कह सकती कि घटना

के समय, मो. साहेद अली मौजूद थे या नहीं।डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि उसने घटना को नहीं देखा था।अपनी जिरह में, डी. डब्ल्यू.-1 ने कहा कि घटना के समय वह मौजूद नहीं थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

793

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

39. डी. डब्ल्यू.-2-एम. अबू अहमद ने अपने गवाह में कहा कि घटना स्थल पर पुलिस के आने का पता चलने पर वह वहां गया था और उसे एककार अली का शव बरेक बेपारी के घर के आंगन में पड़ा मिला था।अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि वह उस समय मौजूद नहीं था जब मृतक एक्कबर अली को मार दिया गया था।

बी.

40. अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, यह ध्यान दिया जाता है कि पीडब्लू-1, जो घायल गवाहों में से एक है, ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह मोहम्मद था। साहेद अली जिन्होंने अन्य अभियुक्तों को हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया और उक्त प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप मो। जब्बार अली ने एककार अली के पेट के निचले हिस्से में सुरकी (भाला) से वार किया जिससे मृतक नीचे गिर गया।पीडब्लू-2 ने यह भी कहा है कि मो. मोयान अली ने अकबर अली को पकड़ लिया जबकि आरोपी मोहम्मद। जब्बार अली ने एककार अली के पेट के निचले हिस्से में एक सुरकी से वार किया।वह Md. युन्श अली ने उसे अपने दाहिने हाथ के ऊपरी पृष्ठीय हिस्से में एक फाल्ला और मोहम्मद से मारा। ताबीबुर रहमान ने उनके बाएं हाथ के ऊपरी पृष्ठ भाग में एक फल्ला से उन्हें मारा था।नतीजतन, वह घटना स्थल से भाग गया। पीडब्लू-3-एम. डी. इनाम अली चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन जानकारी के आधार पर उसने बयान दिया है कि वह घटना स्थल पर गया और एककार अली को मृत पाया।इस गवाह के अनुसार, जो एक सुनी-सुनाई गवाही है, पीडब्लू-4 ने उसे सूचित किया कि मो. मोयान अली ने एककार अली को मार डाला था। पीडब्लू-4 ने अपने साक्ष्य में आगे कहा कि उसने एक्कबर अली के पेट पर चोटों को देखा, जिसके अनुसार, मोहम्मद द्वारा हमला किया गया था। हसन अली। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि उन्होंने मोहम्मद को देखा था। हसन अली ने एककार अली

पर हमला किया। इसके अलावा, पीडब्लू-5-एम. डी. हकीम खान ने पदच्युत कर दिया है कि मो. साहेद अली ने उनके दाहिने कंधे पर लाठी से वार किया और परिणामस्वरूप वे नीचे गिर गए और बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।उन्होंने यह भी नहीं बताया कि एक्कबर अली पर हमला किसने किया। इसी तरह, पहली सूचना देने वाले पीडब्लू-6-बाजु मलिक ने कहा है कि मो. साहेद अली, मो. साबिद अली, मस्ट।हज़ेराभानु और मस्ट।चंद्रभानु ने एक्कबर अली को कसकर पकड़ लिया जबकि मोहम्मद। साहेद अली ने उसके पेट में चाकू से वार किया और जब उस पर भी हमला करने का प्रयास किया गया तो वह भाग गया।भागते समय वह पीडब्लू-4 से मिला और उसे घटना की जानकारी दी।इस प्रकार, पीडब्लू-4 भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है क्योंकि वे उस समय मौजूद नहीं थे जब एक्कबर अली पर हमला किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

41. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण पर, जो सामने आता है वह यह है कि पीडब्लू-6 के साक्ष्य में भिन्नता है जो तत्काल मामले में पहला सूचना देने वाला था और पीडब्लू-1 के साक्ष्य में भिन्नता है।

एच.

पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4 के बारे में कि मृतक एक्काबर अली को किसने घातक प्रहार किए। पीडब्लू-6 के अभिसाक्ष्य के अनुसार, आरोपी मो. पी. डब्ल्यू.-1 और पी. डब्ल्यू.-2 के अभिसाक्ष्य के अनुसार, साहेद अली ने मृतक एक्कबर अली के पेट में चाकू से वार किया। जब्बार अली ने एककार अली के पेट के निचले हिस्से में एक सुरकी से वार किया, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गया और बाद में उसे बरेक बेपारी के घर ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।लेकिन, पीडब्लू-1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को मोहम्मद के बारे में नहीं बताया था। जब्बार अली एककार अली को चाकू मार रहा था और जब उसके शव को घटना स्थल से ले जाया जा रहा था, तो उसे पता चला कि मोहम्मद। जब्बार अली ने एक्कबर अली को चाकू मार दिया था। पीडब्लू-4 ने पदच्युत किया कि मो. मोयान अली ने एककार अली

को मार डाला था। गवाहों के साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि उपरोक्त गवाहों के बयानों में कोई एकरूपता नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों में से किसने मृतक एक्कबर अली को घातक प्रहार दिया। जब यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक एक्कबर अली को किसने चाकू मारा, तो फास्ट ट्रैक न्यायालय का निष्कर्ष है कि पीडब्लू-6 के साक्ष्य को पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य के साथ पुष्टि मिलती है जो गलत है और इसे कायम नहीं किया जा सकता है।फास्ट ट्रैक अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय को इन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था जो संबंधित अभियुक्त को दोषी ठहराने में एक-दूसरे के साथ अत्यधिक असंगत हैं।

बी.

सी.

डी.

42. पीडब्लू-3, जो मृतक का भाई था, का साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है क्योंकि पीडब्लू-3 एक चश्मदीद गवाह नहीं था, बल्कि केवल एक सुनी सुनाई गवाह था, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह अपने खेत की जुताई कर रहा था, तो एक युवा लड़का आया और उसे घटना के बारे में सूचित किया।घटना के बारे में सुनने के बाद, यह गवाह घटना स्थल पर पहुंचा और मृतक एक्कबर अली का शव देखा। इसके अलावा, अपने अभिसाक्ष्य में, पीडब्लू-3 ने यह भी कहा कि उसे पीडब्लू-4 द्वारा सूचित किया गया था कि आरोपी मोहम्मद। मोयान अली ने मृतक एक्काबर अली को चाकू मार दिया और आरोपी मोहम्मद ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4 को और घायल कर दिया। अजमोत अली। इस गवाह पीडब्लू-3 के अभिसाक्ष्य की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि इसकी पुष्टि किसी अन्य गवाह जैसे पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 के साक्ष्य से नहीं होती है, जिन्होंने कहा था कि आरोपी मो. जब्बार अली ने मृतक एक्कबर अली और पीडब्लू-6 को चाकू मार दिया, जिन्होंने बताया कि आरोपी मोहम्मद। साहेद अली ने मृतक एक्कबर अली को चाकू मार दिया। फास्ट ट्रैक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पीडब्लू-3 का साक्ष्य अभियोजन मामले की शुद्धता का समर्थन करता है, इसलिए गलत है।इस प्रकार, पीडब्लू-3 का साक्ष्य किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को सहायता नहीं देता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

795

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

43. पीडब्लू-4 के साक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जिस पर कथित घटना में घायल होने का भी आरोप है, वह भी घटना का चश्मदीद नहीं था।अपने स्वयं के अभिसाक्ष्य के अनुसार, वह घटना स्थल पर कई लोगों को इकट्ठा होते देखने के बाद गया था।इस गवाह के अनुसार, आरोपी मो. हसन अली ने मृतक एक्कबर अली पर हमला किया, हालांकि, अपनी जिरह के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किसने बताया कि आरोपी मोहम्मद। हसन अली ने मृतक एक्कबर अली को चाकू मार दिया। 44.इसके अलावा, पीडब्लू-5 मृतक एक्कबर अली की आरोपी व्यक्तियों द्वारा हत्या की घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं था।इस गवाह के अनुसार, आरोपी व्यक्ति मो. साहेद अली, मो. साबिद अली, मस्ट।चंदाभानु, मस्ट।हज़ेराभानु और मो. यूनुस अली उसके पास आया और बताया कि उन्होंने मृतक एक्कबर अली को मार डाला है। हालाँकि, यह गवाह यह बताने में विफल रहा है कि किस अभियुक्त व्यक्ति ने वास्तव में मृतक एक्कबर अली को चाकू मारा था। इस प्रकार पीडब्लू-5 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को कोई विश्वास नहीं देता है।

बी.

सी.

45. पीडब्लू-10 अर्थात जांच अधिकारी के साक्ष्य की जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि पीडब्लू-10 ने पीडब्लू-6 के साथ-साथ अभियुक्त व्यक्तियों के भूमि दस्तावेजों/भूमि अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया।फास्ट ट्रैक न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि संबंधित दिन यानी घटना के दिन पीडब्लू-6 जमीन पर खेती कर रहा था, हालांकि आरोपी मो. साहेद अली ने भी जमीन का मालिक होने का दावा किया।इसके अलावा, गवाह पीडब्लू-10 ने घटना स्थल से रक्त के धब्बे एकत्र नहीं किए।

डी.

ई.

46. इसलिए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है क्योंकि पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 के साक्ष्य/बयानों में विरोधाभास हैं।इसके अलावा, सूचना देने वाले पीडब्लू-6 का साक्ष्य पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 के बयानों के साथ असंगत है।हम पाते हैं कि अभियोजन-गवाहों के साक्ष्य में अंतर्निहित विरोधाभास अभियोजन के मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं करते हैं। इसलिए, मोहम्मद के उपनाम के संबंध में बचाव पक्ष के गवाहों का साक्ष्य। साहेद अली को ऐसा मानने की जरूरत नहीं है।

एफ.

47. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ फास्ट ट्रैक अदालत का निष्कर्ष गलत है क्योंकि उक्त विवादित भूमि के कब्जे या स्वामित्व को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।फास्ट ट्रैक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जिस विवादित भूमि पर यह घटना हुई थी, वह केवल अनुमानों पर शिकायतकर्ता पक्ष के कब्जे में थी। इसलिए हम मामले के उस पहलू पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

जी.

एच.

48. यह ध्यान दिया जाता है कि तत्काल मामले में गवाहों की गवाही को बहुत महत्व दिया गया है।उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय ने न्यायालय में दिए गए किसी भी दागी साक्ष्य को खारिज करने के लिए गवाहों की विश्वसनीयता की जांच की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा और गवाह एक-दूसरे से संबंधित थे।इस न्यायालय को कई मामलों में संबंधित/इच्छुक/पक्षपातपूर्ण गवाहों के उक्त पहलू और ऐसे गवाहों की विश्वसनीयता पर विचार करने का अवसर मिला है।यह न्यायालय इस सुविचारित सिद्धांत से अवगत है कि सिर्फ इसलिए कि गवाह संबंधित/इच्छुक/पक्षपातपूर्ण गवाह हैं, उनकी गवाही की अवहेलना नहीं की जा सकती है, हालांकि, यह भी सच है कि जब गवाह संबंधित/इच्छुक होते हैं, तो उनकी गवाही की अधिक सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए और

बी.

सी.

परिवीक्षण।गंगाधर बेहरा और ओआरएस के मामले में।राज्य

उड़ीसा **(2002) 8** एस**.** सी**.** सी**. 381** के इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे संबंधित गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता के लिए सावधानी के साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए।

49. राजू उर्फ बालचंद्रन और ओआरएस. वी.तमिलनाडु राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 701, इस न्यायालय ने कहाः

डी.

"29. योग और सार यह है कि किसी संबंधित या इच्छुक गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।ऐसे मामले में जहां संबंधित और इच्छुक गवाह की हमलावर के साथ कुछ दुश्मनी हो सकती है, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होगी और विवेकपूर्ण जांच के मानक को लागू करके गवाह के साक्ष्य की जांच करनी होगी।हालाँकि, यह केवल विवेक का नियम है न कि कानून का, जैसा कि दलीप सिंह [आकाशवाणी] में कहा गया है।

ई.

1953 एस**.** सी**. 364]** और सरवन सिंह **[(1976) 4** एस**.** सी**.** सी**. 369]** में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया हैः**(**सरवन सिंह मामला **(1976) 4** एस**.** सी**.** सी**. 369,**पी**. 376,** पैरा **10)**

एफ.

"10. ... इच्छुक गवाह के साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं होती है, लेकिन अदालतें विवेक के नियम के रूप में, न कि कानून के नियम के रूप में, यह माँग करती हैं कि ऐसे गवाहों के साक्ष्य की थोड़ी सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए।एक बार जब वह दृष्टिकोण बना लिया जाता है और न्यायालय संतुष्ट हो जाती है कि इच्छुक गवाहों के साक्ष्य में सच्चाई का एक घेरा है तो ऐसे साक्ष्य पर बिना पुष्टि के भी भरोसा किया जा सकता है।"

जी.

50. उसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए, यह ध्यान दिया जाता है कि मामले में

गणपति और अन्र. वी.तमिलनाडु राज्य (2018) 5 एससीसी 549,

एच.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कई मामलों में जब केवल परिवार के सदस्य ए हैं

797

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

घटना के समय उपस्थित और अभियोजन पक्ष का मामला केवल उनके साक्ष्य पर आधारित है, न्यायालयों को सावधान रहना होगा और मुकदमे की प्रक्रिया में साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा।

51. इस प्रकार यह तय किया जाता है कि संबंधित गवाहों के साक्ष्य पर विवेकपूर्ण जांच लागू करके विचार किया जाना चाहिए।तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही से यह देखा जाता है कि सभी गवाह मृतक एक्कबर अली से संबंधित हैं और इसलिए सभी गवाह एक-

दूसरे से संबंधित हैं।उक्त पहलू को स्पष्ट करने के लिए, गवाहों और मृतक एक्कबर अली के संबंधों पर ध्यान देना उचित है। पीडब्लू-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि मृतक एक्कबर अली उसका चचेरा भाई (पैतृक चाचा का बेटा) था और पीडब्लू-6 उसकी भतीजी का पति है।पीडब्लू-2 ने कहा कि मृतक एक्कबर अली उसके चाचा थे।पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 ने अपदस्थ कर दिया कि वे मृतक के भाई थे।पीडब्लू-5 मृतक का साला था और पीडब्लू-6 ने कहा कि मृतक उसका मामा था।यहाँ यह बताना आवश्यक है कि संबंधित गवाहों के साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है यदि उनकी गवाही में भौतिक विरोधाभास और विसंगतियाँ पाई जाती हैं।यह देखा गया है कि पीडब्लू-1 की गवाही में भौतिक सुधार हुए हैं।पीडब्लू1-ने अपनी जाँच में उस अभियुक्त मोहम्मद को अपदस्थ कर दिया। जब्बार अली ने एक्कबर अली को चाकू मार दिया, लेकिन अपनी जिरह में पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि मोहम्मद। जब्बार अली ने एक्कबर अली को चाकू मार दिया। यही गवाही में सुधार है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

52. इसके अलावा जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, सभी गवाहों ने विरोधाभासी संस्करण दिए हैं कि मृतक एक्कबर अली को किसने घातक प्रहार दिया और यह भौतिक विरोधाभासों के बराबर है।यह दोहराया जाता है कि पीडब्लू-6 की गवाही राजस्थान राज्य न्यायालय कल्कि और अन्र के मामले में पीडब्लू-1, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 की गवाही से असंगत है। (1981) 2 एस. सी. सी. 752, सामान्य विसंगतियों और भौतिक विसंगतियों के बीच अंतर।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को यह निर्धारित करना होगा कि विसंगति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।भौतिक विसंगतियाँ अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम करती हैं जबकि मामूली विसंगतियाँ ऐसा नहीं करती हैं।

एफ.

जी.

53. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करेगा कि वर्तमान मामले में, गवाहों की गवाही में भौतिक विसंगतियां हैं और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

एच.

54. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में पर्याप्त और भौतिक विरोधाभासों के कारण, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय माना जाता है।इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने केवल संबंधित गवाहों से पूछताछ की है न कि एक भी स्वतंत्र गवाह से।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्ष्य अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों को साबित नहीं करता है।

बी.

55. एक अन्य पहलू जिस पर यह न्यायालय गौर करना चाहेगा वह यह है कि यह न्यायालय किस हद तक अभिलेख पर साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कर सकता है।कई मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के मामलों में, यह न्यायालय सामान्य रूप से उक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इस न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार है यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ, साक्ष्य का गलत अध्ययन या जहां उच्च न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत पाए जाते हैं।

सी.

56. इस संबंध में रिलायंस को हाल के फैसले पर रखा गया है।

अशोकसिंह जयेंद्रसिंह न्यायालय गुजरात राज्य (2019) 6 एस. सी. सी.

डी.

535, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जब उच्च न्यायालय मौखिक साक्ष्य की सराहना करने में विफल रहा है, तो वह निश्चित रूप से अपने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना करने का हकदार होगा।वर्तमान मामले में भी, अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभासों को नजरअंदाज करते हुए दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज किया गया था और इसलिए उक्त दोषसिद्धि को दरकिनार किया जाना चाहिए।उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को इस प्रकार उद्धृत किया गया हैः

ई.

"हम इस बात से अवगत हैं कि उच्चतम न्यायालय नीचे दी अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेगा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक अपील में, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि

एफ.

विकृत (महेश दत्तात्रेय तीर्थकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 11 एस. सी. सी. 141: (2009) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 468)।

जहाँ साक्ष्य का मूल्यांकन गलत है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा।हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय को सामग्री पर विचार करना चाहिए था।जब निचली विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष विकृत दिखाए जाते हैं और अपीलार्थी के लिए सबूत की उचित सराहना नहीं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से उच्च न्यायालय और निचली विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा।"

जी.

एच.

799

एम. डी. जब्बार अली और ओ. आर. एस. बनामअसम राज्य [बी. वी. नागरत्ना, जे.]

ए.

57. यह भी ध्यान दिया जाता है कि पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5 को होने वाली चोटें सरल प्रकृति की हैं।गवाह पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि चोटें एक कुंद हथियार से लगी थीं और इसलिए उच्च न्यायालय और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी संख्या 1,2,3,5,6,7 और 8 को एक साल के लिए साधारण कारावास के लिए दोषी ठहराने और सजा सुनाने में घोर गलती की है।

बी.

58. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विसंगतियों और विसंगतियों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं और इसलिए उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करने में उचित नहीं था।

सी.

59. गवाहों के साक्ष्य की पुनः सराहना करने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले की पुष्टि करने में उचित नहीं था, जिसमें पहले तीन अपीलार्थी, अर्थात् मो. जब्बार अली (अभियुक्त सं. 4), मो. मोयान अली (आरोपी no.10) और मो. साहेद अली (अभियुक्त no.11) को आजीवन कारावास और अन्य अपीलार्थियों अर्थात् मो. उमर अली (आरोपी संख्या 3), मो. हसन अली (आरोपी संख्या 2), मुस्त।हज़ेराभानु (अभियुक्त संख्या 6), मस्ट।चंद्रभानु (अभियुक्त सं. 7), मो. ताबिबोर रहमान

(आरोपी संख्या 5) और मो. अजमोत अली (आरोपी नं.8- संबंधित मामले में अपीलार्थी) को एक वर्ष के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा।

डी.

ई.

60. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय भी इसमें अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और सजा देने में सही नहीं थे और इसलिए, विवादित निर्णयों को अपास्त करना जा सकता है।

एफ.

61. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाती है और फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों को निरस्त कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।अपीलार्थियों तत्काल मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं।

जी.

62. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

एच.